95

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर शिविर म०प्र० रीवापीठ

निगरानी प्रकरण क्र० R 5516-दो/16

रामसनेही यादव पिता छोटू यादव निवासी ग्राम जियावन,

तहसील देवसर जिला सिगरौली म०प्र० ---- आवेदक / निगराकार

बनाम

भैयालाल पिता छोटू यादव निवासी ग्राम जियावन, तह० देवसर,

जिला सिगरौली म०प्र० ------ अनावेदक/गैरनिगराकार

आवेदक की ओर से श्री नीरज द्विवेदी एड० द्वारा पेश। 29-11-16
29.11.16

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् तहसीलदार

महोदय तह० देवसर के 21 अ70 / 15-16 में पारित

अन्तरिम आदेश दिनांक 8-2-16

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भूराजस्व

संहिता सन 1959ई०

मान्यवर,

निगरानी के आधार अन्य के अतिरिक्त निम्नलिखित

आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है:-

1- यहकि विद्वान अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित

अन्तरिम आदेश दिनांक 8-2-16 विधि एवम न्यायिक प्रक्रिया

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 5516–दो/2016 निगरानी जिला – सिंगरोली

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11/8/17	यह निगरानी तहसीलदार देवसर जिला सिंगरोली के प्रकरण कमांक 21 अ–70/15–16 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 8–2– 2016 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है। निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने गये। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख से परिलक्षित है कि मौजा जियावन स्थित भूमि सर्वे कमांक 804/3 के अंश रकबे पर अवैध कब्जा की प्रथम दृष्टया रिपोर्ट से तहसीलदार देवसर जिला सिंगरोली ने प्रकरण कमांक 21 अ–70/15–16 पॅजीबद्व किया है एंव पक्षकारों को सुनकर अंतरिम आदेश दिनांक 8–2–2016 से आदेश दिये हैं कि वादित भूमि पर यथास्थिति बनाये रखी जाय। तहसीलदार के आदेश दिनांक 8–2–16 के अवलोकन से पाया गया कि उक्तांकित भूमि के अंश भाग पर नवीन मकान बनाकर निर्माण किया जा रहा है । तहसीलदार ने भू भाग विवादित होने के कारण भूखंड यथास्थिति में बने रहने के उद्वेश्य से यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये है जिसमें किसी प्रकार की त्रृटि परिलक्षित नहीं है। आवेदक को तहसीलदार के समक्ष सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखने का उपचार प्राप्त है जिसके कारण निगरानी में हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं है। 3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार देवसर जिला सिंगरोली व्दारा प्रकरण कमांक 21 अ–70/15–16 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 8–2–2.016 हस्तक्षेप योग्य नहीं है। निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। सदस्य	